Witness No. .....**01**..... For ....**आवेदक साक्ष्य**....Deposition taken the ....**23/06/2023**..... day of ..... Witness's apparent age .....37..... States on affirmation ..... my name is .....**सुशांत साहू**.... Son/ wife of ....श्री नीलकंठ साहू... occupation .....दुकानदारी.... address ....भिलाई, श्यामनगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)....

समय–11:50 बजे से

01. घटना 2020 की है, तारीख याद नहीं है। मैं और मिक्चर वाला मोटरसायकल से भिलाई से बेमेतरा आये थे। मार्केट में दुकानों में मिक्चर और बर्फी का सैम्पल दिखाये। आर्डर लेने के बाद हमलोग बाईक से वापस भिलाई बेरला होते हुए जा रहे थे। एक होटल में नाश्ता किये उसके बाद मोटरसायकल से जाने लगे पेट्रोल डलवाकर जैसे ही आगे बढ़े तो सामने से टाटा मैजिक गाड़ी जो बहुत स्पीड से आ रही थी, आकर हमलोगों को दुर्घटना कारित कर दिये।

02. दुर्घटना से मुझको गंभीर चोट आयी थी, मेरा सिर फूट गया था, पूरे शरीर में चोट आयी थी, दुर्घटना के बाद मैं बेहोश हो गया था। मेरे ब्रेन में भी गंभीर चोट आयी थी। मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था।

03. दुर्घटना के बाद मुझे हाईटेक हॉस्पिटल नेहरू नगर भिलाई में ले गये थे, मैं 25 दिनों तक अस्पताल में भर्ती था, जहां मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, मेरा हाथ भी टूटा हुआ था, उसका भी ईलाज हुआ था। 20 दिनों

तक हाथ में प्लाटर चढ़ा हुआ था।

04. मेरे ईलाज में लगभग 15,75,000/– रू. (पंद्रह लाख पचहत्तर हजार रूपये) खर्च हुआ था।

05. दुर्घटना के समय मैं मिठाई बनाने का काम करता था और होटलों में सप्लाई करता था।

06. दुर्घटना से मैं अपंग हो गया हूं, पैर में गंभीर चोट आने से मुझे अब चलने फिरने में दिक्कत होती है। अपंगता संबंधी मैंने प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी पूर्व में पेश किया है, आज मूल लेकर आया हूं, पेश कर रहा हूं। अपंगता प्रमाण पत्र **प्र.A–1** है।

07. दुर्घटना की रिपोर्ट थाना बेरला में मेरे रिश्तेदार के द्वारा किया गया था, जिसका प्रथम सूचना पत्र **प्र.A–2** है, अंतिम प्रतिवेदन **प्र.A–3,** मुलाहिजा रिपोर्ट **प्र.A–4,** संपत्ति जप्ती पत्रक **प्र.A–5,** सुपुर्दनामा आदेश की प्रति **प्र.A–6,** गिरफ्तारी पत्रक **प्र.A–7,** ईलाज संबंधी दस्तावेज **प्र.A–8** है, जो 147 पन्नो में है, पेश किया हूं, मुझे क्षतिपूर्ति दिलायी जावे।

<u>प्रतिपरीक्षण अनावेदक क.–1 एवं 2 की ओर से श्री बलराम साहू अधिवक्ता</u>

08. यह कहना गलत है कि मोटरसायकल में हमलोग तीन लोग सवार थे। स्वतः कहा कि दो लोग सवार थे।

09. जिस मोटरसायकल से हमलोग जा रहे थे, उस मोटरसायकल का मालिक नारायण है।

10. यह कहना सही है कि दुर्घटना स्थल पर मोड़ था।

11. यह कहना सही है कि हमलोग पेट्रोल पंप की ओर मुड़े और फुल स्पीड से आती हुई गाड़ी टाटा मैजिक ने दुर्घटना किया।

12. यह कहना सही है कि हमलोग गलत साईड में थे।

<u>प्रतिपरीक्षण अनावेदक क.–3 की ओर से श्री सोहन निषाद अधिवक्ता</u>

13. यह कहना सही है कि घटना के समय मैं मोटरसायकल पर पीछे बैठा था।

14. यह कहना सही है कि मैं जिस मोटरसायकल पर जा रहा था, उस मोटरसायकल के मालिक और बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया है।

15. यह कहना सही है कि मोटरसायकल निखिल गुप्ता चला रहा था और उसके पास मोटरसायकल चलाने का लायसेंस नहीं था।

16. यह कहना सही है कि दुर्घटना के समय मैं और निखिल गुप्ता दोनों हेलमेट नहीं पहने थे।

17. यह कहना गलत है कि निखिल गुप्ता तेजी से मोटरसायकल चला रहा था और यह कहना भी गलत है कि हमलोग शराब पिये हुए थे।

18. यह कहना गलत है कि निखिल गुप्ता के लापरवाहीपूर्ण वाहन चलाने की वजह से दुर्घटना हुई थी।

19. यह कहना सही है कि यह हो सकता है कि यदि मैं हेलमेट पहना होता तो सिर में इतनी चोट नहीं आती।

20. यह कहना सही है कि मैंने अपनी आय, आयु और कार्य के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

21. यह कहना गलत है कि मेरा उपचार स्मार्ट कार्ड से हुआ है।

22. यह कहना गलत है कि क्षतिपूर्ति पाने के लिये झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया है।

23. यह कहना गलत है कि मैंने ईलाज संबंधी बिल बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है।

24. यह कहना गलत है कि मैंने 15,75,000/– रू. (पंद्रह लाख पचहत्तर हजार रूपये) का बिल पेश नहीं किया है।

25. यह कहना गलत है कि प्र.ए.–1 में उल्लेखित नाम, पता स्वयं के द्वारा भरा गया है। यह कहना भी गलत है कि प्र.ए.–1 के प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी एवं झूठा है।

26. यह कहना सही है कि प्र.ए.–1 अपंगता प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु जारी नहीं किया गया है।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया
उसने सही होना स्वीकार किया

सही/–
(बृजेन्द्र कुमार शास्त्री)
मो.दु.दावाअधिकरण,बेमेतरा(छ.ग.)

निदेश पर टंकित।

सही/–
(बृजेन्द्र कुमार शास्त्री)
मो.दु.दावाअधिकरण,बेमेतरा(छ.ग.)

समय–12:20 बजे तक